**संख्या-421/2016/5742जेएल/22-3-16-800(70)/2010**

**प्रेषक,**

**हरि नारायण गिरि,**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**जिला मजिस्ट्रेट,**
अम्बेडकरनगर।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3*** ***लखनऊ: दिनांक: 28 अक्टूबर, 2016***

**विषय-** केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के बंदी तौफीक आलम उर्फ किम्मू पुत्र श्री फैयाजुद्दीन, निवासी-ग्राम-मदारपुर, थाना-इब्राहिमपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के बंदी तौफीक आलम उर्फ किम्मू पुत्र श्री फैयाजुद्दीन, निवासी-ग्राम-मदारपुर, थाना-इब्राहिमपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर को शासनादेश संख्या-358/2016/4705जेएल/22-3-16-800(70)/2010, दिनांक 16-09-2016 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

**भवदीय,**

**(हरि नारायण गिरि)**
**अनु सचिव।**

**संख्या-421/2016/5742जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
4- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(हरि नारायण गिरि)**
**अनु सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in